बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजयनन्द वार्डियार
* अखिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक : 54 दिनांक 26/9/2012

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रथम वित्तीय उन्नयन, द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं द्वितीय रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है इन आदेशों के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि :-

क्र.स.	वित्तीय उन्नयन	उन्नयन से लाभान्वित पदाधिकारी की संख्या	चारित्री अभाव में लाभान्वित नही होने वाले पदाधिकारियों की संख्या
1.	प्रथम वित्तीय उन्नयन	54	43
2.	द्वितीय वित्तीय उन्नयन	22	13
3.	द्वितीय रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन	84	41
	कुल	160	97

चारित्री लेखन के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-929 दिनांक-30.03.2011 के कंडिका (5) में उल्लेखित है कि "यदि पदाधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत किया गया हो तथा प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा उनकी चारित्री नही लिखी गयी हो तो चारित्री नही लिखने वाले पदाधिकारी के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज की जायेगी।"

अगर उपरोक्त नियम को मान भी लिया जाय तो चारित्री अभिलेखन प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा नहीं लिखने के कारण बिहार प्रशासनिक सवेा के पदाधिकारी को भी तो दंडित किया जा रहा है उसका दुष्परिणाम उपरोक्त आदेशों से स्पष्ट होता ह कि 97 पदाधिकारी को वित्तीय उन्नयन का लाभ सिर्फ इस कारण से नहीं मिल सका कि उसके प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा चारित्री अभियुक्ति नही लिखा गया है। यही परिस्थिति प्रोन्नति देने में भी होगी। यह कोई न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजयबन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :.................................. दिनांक ....

संघ यह जानना चाहता है कि कितने प्रतिवेदक पदाधिकारी के कार्य मूल्यांकन में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज की गयी है?

साथ ही संघ यह चाहता है कि उपरोक्त नियम में परिवर्तन लाया जाय। संघ का सुझाव यह है कि अगर प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा चारित्री अभ्युक्ति नही लिखा जाता है तो यह मान लिया जाय कि पदाधिकारी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है तद्नुसार प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन का लाभ दे दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुशील कुमार)

महासचिव

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/श्री बी.के.वर्मा. भा.प्र.से. अध्यक्ष प्रोन्नति समिति राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है इस संदर्भ में भवदीय स्तर से न्यायोचित कार्रवाई की जाय।

ह0/-

(सुशील कुमार)

महासचिव

प्रतिलिपि:-मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्यमंत्री के सचिव को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान में देते हुए इसका समाधान कराया जाय।

सुशील 28/09/12

(सुशील कुमार)

महासचिव